न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 42/2025

श्री श्याम लाल सैनी पुत्र नेमीचन्द सैनी निवासी 10 बैराठी नगर–।।, करतारपुरा, जयपुर जिला जयपुर। ––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 08.07.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आन–लाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1 ग्राम–डांगरधल, हल्का पटवार डांगरधल प्रथम, तहसील निवाई, जिला टोंक के खसरा नंबर 3/17 की खतोनी की प्रति व सन् 2015 के समय की जमाबंदी, नक्शा की प्रति।

2 उपरोक्त खसरे में सन् 2019 से 2023 के मध्य खसरे के नक्से में तरमीम की कार्यवाही अपनायी गयी थी उस कार्यवाही की सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रति।

3 उपरोक्त खसरे में 2019 से 2023 के मध्य निवाई तहसीलदार साहब के आदेश की प्रति, न्यायालय कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली कार्यालय टिप्पणी, पटवारी रिपोर्ट की प्रति।

4 उपरोक्त खसरे के नक्शे में काबिज खातेदार को तरमीम की कार्यवाही में कहा स्थानांतरित किया गया उससे सम्बंधित दस्तावेज की प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 750 दिनांक 12.05.2025, 874 दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 510 दिनांक 20.05.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई से होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार, निवाई को उनके पत्र कमांक 392 दिनांक 04.04.2025 से अन्तरित कर दिया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 973 दिनांक 03.06.2025 व 1098 दिनांक 17.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

672

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक